

राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 8( )/आकृ/जउप्र/सिंचाई पाईप पंजी0/20-21/4504 दिनांक 02/09/20

पाईप लाईन निर्माताओं के पंजीकरण हेतु विज्ञप्ति

पूर्व की विज्ञप्ति क्रमांक एफ8( )/आकृ/जउप्र/सिंचाई पाईप पंजी/2020-21/3587 दिनांक 06.08.2020 की निरन्तरता में बीआईएस मार्का सिंचाई पाईप लाईन निर्माताओं के पंजीकरण के लिये आवेदन प्राप्त करने की दिनांक 20.08.2020 को 04.09.2020 तक बढ़ाया जाता है। विस्तृत नियम एवं शर्तें विभागीय वेबसाईट [www.agriculture.rajasthan.gov.in](http://www.agriculture.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।

02/09/20

आयुक्त कृषि

राज0 सरकार, जयपुर